रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-01122020-223422
CG-DL-W-01122020-223422

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, नवम्बर 22—नवम्बर 28, 2020, शनिवार / अग्रहायण 1 —अग्रहायण 7, 1942
No. 37] NEW DELHI, NOVEMBER 22—NOVEMBER 28, 2020, SATURDAY/AGRAHAYANA 1— AGRAHAYANA 7, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 169.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (कनिष्ठ अन्वेषक) भर्ती नियम, 1971 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में कनिष्ठ अन्वेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनयमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (कनिष्ठ अन्वेषक) भर्ती नियम, 2020 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति ,आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात,ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों ,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अन्वेषक	3* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-5 (रु. 29,200-92,300/-)	लागू नहीं होता	18 - 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिखिल की जा सकती है।) **टिप्पण**: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश

					के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्वा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपराध विज्ञान या समाज विज्ञान में स्नातक की डिग्री। **टिप्पण.–**अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी। (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हो; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु.25500-81100/) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुत्रि के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों। **टिप्पण 1** – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः—** (1) सहायक निदेशक (प्रशासन), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो - **अध्यक्ष** (2) प्रशासनिक या अनुभाग अधिकारी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो - **सदस्य** (3) एक राजपत्रित अधिकारी जिसे महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। - **सदस्य**	लागू नहीं होता

किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2–** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं.23011/172/2017-पीटी]

नरेन्द्र कुमार साहू, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 24th November, 2020

G.S.R. 169.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Bureau of Police Research and Development, Junior Investigator, Recruitment Rules, 1971 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Investigator in the Bureau of Police Research & Development, Ministry of Home Affairs, namely : —

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Bureau of Police Research & Development (Junior Investigator) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, Classification and level in the pay matrix.—**The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Column (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.—**No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Investigator	03* (2020) *Subject to variation	General Central Service Group ‘C’,	Level 5 (Rs. 29200-92300/-)	Not applicable	Between 18-27 years. (Relaxable for Government servants

	dependent on workload.	Non-Gazetted, Non-Ministerial			up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahual & Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor's degree in Criminology or Sociology from a recognized university. **Note.-** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years	By direct recruitment failing which by deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government Statutory or Autonomous organizations:	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) comprising of :** (i) Assistant Director (Admn),Bureau of Police Research and Development - Chairman; (ii)Administrative Officer/Section Officer, Bureau of Police Research and Development – Member; (iii)One Gazette officer to be nominated by the Director General, Bureau of Police Research and Development -Member	Not applicable.

(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the post rendered after appointment thereto on a regular basis in level 4 (Rs. 25,500-81,100/-) in the pay matrix or equivalent in parent cadre or department; and (b) Possessing educational qualifications prescribed under column (7). **Note 1.-** Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/172/2017-PT]

NARENDRA KUMAR SAHOO, Under Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2020

सा.का.नि.170.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदद्वारा वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय (ड्राईवर-सह-तकनीकी) भर्ती नियम, 2011 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय (ड्राईवर-सह-तकनीकी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय (ड्राईवर-सह-तकनीकी) भर्ती नियम, 2011 के, अनुसूची में -

(क) स्तंभ (2) में, अंक "2011" के स्थान पर निम्नलिखित अंक रखा जाएगा अर्थात्:-

"(2020)"

(ख) स्तंभ (11) के उप-शीर्ष "प्रोन्नति" में, "संदेशवाहक/सफाईकर्मी", शब्दों के स्थान पर बहु कार्य कर्मचारीवृन्द (उप-कार्यालय) और बहु कार्य कर्मचारीवृन्द (मुख्यालय, फरीदाबाद)" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (12) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(i) विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह 'ग') (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

1. संयुक्त निदेशक, पौध संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय – अध्यक्ष
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पौध संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय – सदस्य
3. अवर सचिव (मुख्यालय), पौध संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय – सदस्य
4. उपनिदेशक, पौध संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय – सदस्य

विभागीय पुष्टिकरण समिति (समूह 'ग') एवं (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

1. संयुक्त निदेशक, पौध संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय – अध्यक्ष
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पौध संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय – सदस्य
3. अवर सचिव (मुख्यालय), पौध संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय – सदस्य
4. उपनिदेशक, पौध संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय – सदस्य

[फा.सं.–12018/5/2019–पीपी.स्था.]

आर.राजीव, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 279 तारीख 08.10.2011 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 107 तारीख 04.05.2019 के द्वारा किये गए थे ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 24th November, 2020

G.S.R. 170 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Driver-cum-Mechanic) Recruitment Rules, 2011, namely : —

1. (1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Driver-cum-Mechanic) Recruitment (Amendment) Rules, 2020.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Driver-cum-Mechanic) Recruitment Rules, 2011, in the Schedule,-

(a) in column (2), for the figure "2011", the following figure shall be substituted, namely: -

"2020";

(b) in column (11), under sub-heading "Promotion", for the words, "Messenger/ Cleaners", the words "Multi Tasking Staff (Sub-Offices) and Multi Tasking Staff (Head Quarter, Faridabad)" shall be substituted;

(c) in column (12), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

Departmental Promotion Committee (Group 'C') (for considering promotion) consisting of:-

1. Joint Director, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage - Chairman;
2. Chief Administrative Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage – Member;

3. Under Secretary (Head Quarters), Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage – Member;
4. Deputy Director, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage – Member.

Departmental Confirmation Committee (Group 'C') (for considering confirmation) consisting of:-

1. Joint Director, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage – Chairman;
2. Chief Administrative Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine and storage – Member;
3. Under Secretary (Head Quarters), Directorate of Plant Protection, Quarantine Storage – Member;
4. Deputy Director, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage – Member.

[F.No.12018/5/2019-PP-Estt]

R RAJEEV, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 279, dated the 08th October, 2011 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 107 dated the 04th May, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.